डी० आई० 210

31256—D.I.—Item No. 2—H.G.P., Chd.

समिति पंजीकरण प्रमाण-पत्र

(वर्ष 1860 का इक्कीसवाँ अधिनियम)

क्रमांक— 3289 —वर्ष— 2001-2002.

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि— Modern Education Society, Mirpur, Distt, Rewari, —नामक समिति को समिति पंजीकरण अधिनियम इक्कीस आफ 1860 (तथा पंजाब संशोधन अधिनियम 1957 द्वारा यथा संशोधित) के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक— 26 —मास— 2 वर्ष— 2002 —को चण्डीगढ़ में जारी किया गया।

रजिस्ट्रार समितियाँ, हरियाणा

विधान

मॉडर्न शिक्षा समिति, मीरपुर जिला रेवाडी का

समिति एक्ट 1860 के अनुसार रजिस्टर्ड करवाने हेतु

1.	नाम	:	इस समिति का नाम "मॉडर्न शिक्षा समिति, मीरपुर (रेवाड़ी) होगा ।
2.	संस्था का कार्यालय	:	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ग्राम मीरपुर (रेवाड़ी) जिला रेवाड़ी में होगा
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र	:	ग्राम मीरपुर जिला रेवाड़ी व समस्त हरियाणा राज्य होगा ।
4.	समिति के उद्धेश्य	:	

यह संस्था हरियाणा राज्य में खास तौर से जिला रेवाड़ी में व ग्राम मीरपुर(रेवाड़ी) व आस पास के सभी गांवो में जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए है में शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने, पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार में व क्षेत्र में बढ़ती हुई बेरोजगारी आर्थिक विषमता व अन्य सामाजिक विकास के कार्यों को समर्पित भाव से पूर्ण करने के दायित्व का निवर्हन करने में प्रयत्नशील रहेगी जो निम्न प्रकार से प्रयत्न करेगीः–

1. समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार व समाज में बच्चो के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना ।
2. समाज में उच्च चरित्रवान व राष्ट्रभक्त नागरिक बनाना ।
3. समाज मे वैज्ञानिक, यांत्रिक शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार करना ।
4. समाज में आध्यात्मिक, नैतिक व शारीरिक शिक्षा का प्रसार करना ।
5. समाज में भूखमरी, बेरोजगारी, जनसंख्या आदि की समस्या का समाधान करना।
6. समाज में उच्च कोटि के नागरिक पैदा करना तथा उनमें नेतृत्व के गुण पैदा करना।
7. समाज में आर्थिक संतुलन बनाना ।
8. पर्यावरण संतुलन बनाए रखना ।

President
Modern Education Society
Mirpur (Rewari)

9. रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करना।
10. समाज में सांस्कृतिक जागृति पैदा करना।
11. सामाजिक समरसता बनाए रखना।
12. समाज में जाति, धर्म या सम्प्रदाय का भेदभाव व छूआछूत को मिटाना ।
13. सदस्यों व समाज के अन्य तबकों को राष्ट्र निमार्ण के कार्य में लगाना ।
14. राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग करना ।
15. अर्न्तराष्ट्रीय भाईचारे की सोच पैदा करना।
16. समाज में बुद्धिजीवी वर्ग के नागरिक पैदा करना ।
17. समाज सुधार के अन्य कार्यो का संचालन करना ।
18. समाज में खेलकूद व शारीरिक क्रियाओं को बढ़ावा देना ।

5. सदस्यता :–

क. समिति के सदस्य दो प्रकार के होंगे :–

1. आजीवन सदस्य (स्थायी सदस्य)
2. साधारण सदस्य

1) आजीवन सदस्य :–

निम्नलिखित व्यक्ति समिति के आजीवन(स्थाई) सदस्य होंगे :–

(i) समिति के संस्थापक सदस्य

(ii) विद्यालय का संस्थापक(संरक्षक) जो समिति को 2100.00 रू0 या इससे अधिक स्वेच्छा से दान देगा ।

(iii) ऐसा कोई भी व्यस्क जो मॉडर्न शिक्षा समिति, मीरपुर जिला रेवाड़ी को 1100 रू0 आजीवन सदस्यता शुल्क अदा करेगा ।

(iv) कोई असामान्य प्रतिभावान व्यक्ति जिसका अनुमोदन समिति प्रबन्ध कार्यकारिणी करती हो।

2)साधारण सदयः–

(i) समिति की साधारण सदस्यता शुल्क 51.00 रू0 वार्षिक होगी। समिति के कार्यक्षेत्र का कोई भी व्यस्क व्यक्ति निर्धारित सदस्यता शुल्क देकर साधारण सदस्य बन सकता है ।

President
Modern Education Society
Mirpur (Rewari)

6. संस्था के विधानानुसार निम्न प्रकार से प्रथम प्रबन्धक समिति/कार्यकारिणी को प्रबन्धन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है :–

क्रम संख्या	नाम व पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री रामेश्वर सिंह पुत्र श्री कंवर सिंह रेवाड़ी	प्रधान	कृषि
2.	श्री भीम सिंह पुत्र श्री हरदयाल सिंह ग्राम व डा0 फरूखनगर जि0 गुडगांवा	उप–प्रधान	कृषि
3.	श्रीमती राजबाई पत्नी श्री लाल सिंह, सैक्टर 10–ए, गुडगांवा	सचिव	गृहिणी
4.	श्रीमती सुमित्रा बाई पत्नी श्री सत्येन्द्र यादव सैक्टर 9, फरीदाबाद	कोषाध्यक्ष	गृहिणी
5.	ओम प्रकाश पुत्र श्री कंवर सिंह, रेवाडी	मैनेजर	कृषि
6.	कंवर सिंह पुत्र श्री धनी राम गांव ढाणी छूछकवास जिला झज्जर	शिक्षाविद्	रिटायर्ड
7.	रामचन्द्र पुत्र श्री राम स्वरूप ग्राम व डा0 मीरपुर जिला रेवाडी	सदस्य	कृषि
8.	गुरदयाल सिंह पुत्र श्री कालू राम ग्राम माजरी जिला गुडगांवा	सदस्य	कृषि
9.	सुरेश कुमार पुत्र श्री लाला राम ग्राम कुम्भावास जिला रेवाडी	सदस्य	कृषि
10.	धर्मवीर पुत्र श्री गुरदयाल सिंह ग्राम माजरी जिला गुडगांवा	सदस्य	कृषि
11.	सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री राम कंवार ग्राम चांदनवास जिला रेवाडी	सदस्य	कृषि
12.	रामेश्वर यादव पुत्र श्री जगराम सिंह ग्राम चांदनवास जिला रेवाडी	सदस्य	कृषि

REGISTRAR OF FIRMS & SOCIETIES HARYANA

President
Modern Education Society
Mirpur (Rewari)

ज्ञापन पत्र

1. संस्था का नाम : मॉडर्न शिक्षा समिति
2. पंजीकृत कार्यालय : मीरपुर जिला रेवाड़ी
3. कार्यक्षेत्र : ग्राम मीरपुर व आस पास के गांव व जिला रेवाड़ी व हरियाणा राज्य
4. कार्य एवं उद्देश्य : यह संस्था हरियाणा राज्य में खास तौर से जिला रेवाड़ी में व ग्राम मीरपुर व आस पास के सभी गांवो में जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए है में शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने, पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार में व क्षेत्र में बढ़ती हुई बेरोजगारी आर्थिक विषमता व अन्य सामाजिक विकास के कार्यों को समर्पित भाव से पूर्ण करने के दायित्व का निवर्हन करने में प्रयत्नशील रहेगी जो निम्न प्रकार से प्रयत्न करेगीः–

1. समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार व समाज में बच्चो के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना ।
2. समाज में उच्च चरित्रवान व राष्ट्रभक्त नागरिक बनाना ।
3. समाज मे वैज्ञानिक, यांत्रिक शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार करना ।
4. समाज में आध्यात्मिक, नैतिक व शारीरिक शिक्षा का प्रसार करना ।
5. समाज में भूखमरी, बेरोजगारी, जनसंख्या आदि की समस्या का समाधान करना।
6. समाज में उच्च कोटि के नागरिक पैदा करना तथा उनमें नेतृत्व के गुण पैदा करना।
7. समाज में आर्थिक संतुलन बनाना ।

President
Modern Education Society
Mirpur (Rewari)

8. पर्यावरण संतुलन बनाए रखना ।
9. रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करना।
10. समाज में सांस्कृतिक जागृति पैदा करना।
11. सामाजिक समरसता बनाए रखना।
12. समाज में जाति, धर्म या सम्प्रदाय का भेदभाव व छूआछूत को मिटाना ।
13. सदस्यों व समाज के अन्य तबकों को राष्ट्र निमार्ण के कार्य में लगाना ।
14. राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग करना ।
15. अर्न्तराष्ट्रीय भाईचारे की सोच पैदा करना।
16. समाज में बुद्धिजीवी वर्ग के नागरिक पैदा करना ।
17. समाज सुधार के अन्य कार्यों का संचालन करना ।
18. समाज में खेलकूद व शारीरिक क्रियाओं को बढ़ावा देना ।

5. शर्तें :–

क. संस्था की आय तथा सम्पत्ति केवल संस्था के लिए ही खर्च होगी तथा इसमें से किसी संस्था की आय या सम्पत्ति का कोई भाग बोनस या डिवीडैंट के रूप में नहीं दिया जाएगा ।

ख. संस्था के सभी सदस्य अवैतनिक होंगे और कोई भी संस्था का सदस्य किसी प्रकार का वेतन नहीं लेगा ।

ग. संस्था का यदि कोई भी कोष व आमदनी होगी तो वह संस्था के विकास के लिए खर्च की जाएगी ।

घ. यदि किसी कारणवश संस्था बंद होने की स्थिति में आती है तो संस्था की जायदाद, लेनदारी या देनदारी का कोई भी सदस्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार नहीं होगा, ऐसी स्थिति में संस्था को समान विचारधारा वाली संस्था को सौंपा जाएगा ।

President
Modern Education Society
Mirpur (Rewari)

6. सदस्यता की समाप्ति :–

समिति की सदस्यता समाप्ति निम्न प्रकार से की जा सकेगी :–

क. मृत्यू होने पर
ख. संस्था के विधान के विपरीत कार्य करने पर
ग. स्वेच्छा से इस्तीफा देने पर
घ. वार्षिक सदस्यता शुल्क न देने पर
ड. लगातार संस्था की तीन बैठकों में भाग न लेने पर

7. समिति की मीटिंग :–

1. समिति की आम सभा की बैठक तीन साल में एक बैठक अवश्य करानी होगी जिसकी सूचना सचिव द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से दी जावेगी।
2. यदि आवश्यक हो तो आजीवन सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से 15 दिन के नोटिस पर आम सभा की मीटिंग बुलाई जा सकेगी। नोटिस की सूचना सदस्य सचिव समिति को लिखित हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन द्वारा देंगे।
3. यदि आवश्यक समझे तो प्रधान प्रबन्धक समिति 15 दिन के नोटिस से आम सभा की मीटिंग बुला सकता है ।

8. आम सभा की शक्तियां एवं अधिकार :–

1. आवश्यकतानुसार विधान में परिवर्तन करना ।
2. सदस्यों की सदस्यता समाप्ति पर विचार करना ।
3. वार्षिक बजट तैयार करना ।
4. प्रबन्धक कमेटी / कार्यकारिणी का गठन करना ।

9. प्रबन्धक कमेटी / समिति का चुनाव एवं कार्यकाल :–

1. संस्था की प्रबन्धक कमेटी का चुनाव आम सभा द्वारा 5 वर्ष में प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जाएगा । चुनाव अधिकारी की नियुक्ति आम सभा द्वारा की जाएगी ।
2. प्रबन्धक कमेटी में कुल 7 सदस्य होंगे जिनमें एक पद प्रधान, एक उप प्रधान, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक मैनेजर, एक शिक्षाविद् होगा तथा 2 सदस्य प्रबन्धक समिति होंगे ।

President
Modern Education Society
Mirpur (Rewari)

. प्रबन्धक कमेटी का गठन :–

संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रबन्धक समिति का चुनाव किया गया जो निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	नाम व पता	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री रामेश्वर सिंह पुत्र श्री कंवर सिंह रेवाड़ी	प्रधान	[illegible]
2.	श्री भीम सिंह पुत्र श्री हरदयाल सिंह ग्राम व डा0 फरूखनगर जि0 गुडगांवा	उप–प्रधान	भीम सिंह
3.	श्रीमती राजबाई पत्नी श्री लाल सिंह, सैक्टर 10–ए, गुडगांवा	सचिव	Raj yadav
4.	श्रीमती सुमित्रा बाई पत्नी श्री सत्येन्द्र यादव सैक्टर 9, फरीदाबाद	कोषाध्यक्ष	Sumitra B…
5.	ओम प्रकाश पुत्र श्री कंवर सिंह, रेवाडी	मैनेजर	ओमप्रकाश
6.	कंवर सिंह पुत्र श्री धनी राम गांव डाणी छूछकवास जिला झज्जर	शिक्षाविद्	Kanwar Singh
7.	रामचन्द्र पुत्र श्री राम स्वरूप ग्राम व डा0 मीरपुर जिला रेवाडी	सदस्य	रामचन्द्र
8.	गुरदयाल सिंह पुत्र श्री कालू राम ग्राम माजरी जिला गुड़गांवा	सदस्य	गुरदयाल कालूराम
9.	सुरेश कुमार पुत्र श्री लाला राम ग्राम गुम्भावास जिला रेवाडी	सदस्य	सुरेश कुमार
10.	धर्मवीर पुत्र श्री गुरदयाल सिंह ग्राम माजरी जिला गुडगांवा	सदस्य	Dharambir
11.	सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री राम कंवार ग्राम चांदनवास जिला रेवाडी	सदस्य	[illegible]
12.	रामेश्वर यादव पुत्र श्री जगराम सिंह ग्राम चांदनवास जिला रेवाडी	सदस्य	RS Yadav

स्थान :

Certified to be a True Copy

Registrar of Firms & Societies
Haryana

दिनांक :

गवाही :–

मै उपरोक्त व्यक्तियों को जानता हूं। इन्होंने मेरे सामने हस्ताक्षर किए हैं।

ATTESTED

Oath Commissioner

11. प्रबन्धक समिति की शक्तियां एवं अधिकार :–

क. सदस्य बनाना व निष्कासन करना ।

ख. वार्षिक बजट तैयार करना ।

ग. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना ।

घ. आम सभा द्वारा पारित नियम लागू करना ।

ङ. कार्य व्यवस्था हेतु उप समिति बनाना ।

च. संस्था में कर्मचारी, अधिकारी की नियुक्ति करना ।

छ. संस्था के लिए आवश्यक वस्तु की खरीद करना ।

12. बैठक प्रबन्धक समिति :–

प्रबन्धक समिति की बैठक एक माह में एक बैठक होनी आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष द्वारा भी बैठक बुलाई जा सकती है ।

13. प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

क. प्रधान

1. समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना ।
2. बराबर मत आंने पर निर्णायक मत देना ।
3. संस्था का प्रतिनिधित्व करना ।
4. संस्था के विधान के अनुरूप कार्य करना ।

ख. उप प्रधान

प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान के समस्त कार्य करना ।

ग. सचिव

1. प्रधान के कहने पर बैठके आहूत करना ।
2. आय व व्यय पर नियंत्रण करना ।
3. सभी प्रकार का रिकार्ड रखना ।

घ. कोषाध्यक्ष

1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना ।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना ।
3. चंदा व शुल्क प्राप्त करके रसीद देना ।
4. विधान के अनुरूप कार्य करना ।

ङ. मैनेजर :–

1. समिति द्वारा संचालित स्कूलों का प्रबन्ध करना।

च. शिक्षाविद् :–

समिति द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा के बारे अपना परामर्श देना व स्कूल के हित में अन्य परामर्श समय–समय पर देना।

Modern ... Society
Mirpur (Rewari)

14. संस्था कोष :—

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :—

क. चंदा ख. शुल्क ग. अनुदान घ. राजकीय अनुदान

एकत्रित राशि किसी बैंक या डाकघर में सुरक्षित रखी जायेगी ।

15. संस्था का अंकेक्षण :—

संस्था के लेखा—जोखा का वार्षिक अंकेक्षण करवाया जायेगा ।

16. संस्था का विघटन :—

यदि संस्था का विघटन हुआ तो संस्था की समस्त चल, अचल सम्पत्ति समान विचारधारा वाली पंजीकृत संस्था को सौंप दी जाएगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान मॉडर्न शिक्षा समिति, मीरपुर जिला रेवाड़ी की सही व सच्ची प्रतिलिपी है ।

भीम सिंह Raj yadav

President
Modern Education Society
Mirpur (Rewari)

Certified to be a True Copy

Registrar of Firms & Societies
Haryana

10. प्रबन्धक कमेटी का गठन :–

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबन्धक समिति का चुनाव किया गया जो निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	नाम व पता	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री रामेश्वर सिंह पुत्र श्री कंवर सिंह रेवाड़ी	प्रधान	
2.	श्री भीम सिंह पुत्र श्री हरदयाल सिंह ग्राम व डा० फरूखनगर जि० गुडगांवा	उप–प्रधान	
3.	श्रीमती राजबाई पत्नी श्री लाल सिंह, सैक्टर 10–ए, गुडगांवा	सचिव	
4.	श्रीमती सुमित्रा बाई पत्नी श्री सत्येन्द्र यादव सैक्टर 9, फरीदाबाद	कोषाध्यक्ष	
5.	ओम प्रकाश पुत्र श्री कंवर सिंह, रेवाडी	मैनेजर	
6.	कंवर सिंह पुत्र श्री धनी राम गांव ढाणी छूछकवास जिला झज्जर	शिक्षाविद्	
7.	रामचन्द्र पुत्र श्री राम स्वरूप ग्राम व डा० मीरपुर जिला रेवाडी	सदस्य	
8.	गुरदयाल सिंह पुत्र श्री कालू राम ग्राम माजरी जिला गुडगांवा	सदस्य	
9.	सुरेश कुमार पुत्र श्री लाला राम ग्राम कुम्भावास जिला रेवाडी	सदस्य	
10.	धर्मबीर पुत्र श्री गुरदयाल सिंह ग्राम माजरी जिला गुडगांवा	सदस्य	
11.	सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री राम कंवार ग्राम चांदनवास जिला रेवाडी	सदस्य	
12.	रामेश्वर यादव पुत्र श्री जगराम सिंह ग्राम चांदनवास जिला रेवाडी	सदस्य	